csf.hisar@indiaseeds.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–मिनिरत्न कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963G-OI003913
केन्द्रीय राज्य फार्म/Central State Farm
10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार/10 KM. Sirsa Road Hisar-125001
मुख्यालयः बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–12/BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

संख्या के॰ रा॰ फ़ा./11-5 (निलामी)/उद्यान /2018 -19 दिनांक - .04.2018

निविदा सूचना

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, 10 किलोमीटर सिरसा रोड़ हिसार में फलदार पौधों के फलों की खुली बोली **व मोहर बन्द निविदा** दिनांक 02.05.2018 **(बुद्धवार) को दोपहर 1.0 बजे तक आमंत्रित की जा रही है तथा उसी दिन दोपहर 3.00 बजे खुली बोली के बाद निविदा खोली जाये गी जो** वर्ष 2018-19 हेतु **दिनांक 31.03.2019 तक के लिये होगी** । यदि किसी वजह से दर ठीक नहीं आती है तो दोबारा बोली **दि**नांक **16.05.2018 (बुद्धवार)** को **उपरोक्त समय व शर्तो** के आधार पर **पुनः** की जाएगी। इच्छुक ठेकेदार **मोहर बन्द निविदा** भी उप महाप्रबंधक**.(फार्म)** केन्द्रीय राज्य फार्म,. हिसार के नाम पर भेज सकते हैं। जो इस कार्यालय में दिनांक 02.05.2018 **को** 1.00 बजे तक पहुॅच जाना चाहिए। **मोहर बन्द निविदा** कें साथ धरोहर राषि रुपये 100000/=(**एक लाख**) का ड्राफट सलंग्न होना चाहिए **जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड** के नाम देय हिसार हो । इसके बिना टेंडर स्वीकार नहीं किया जाएगा। **मोहर बन्द निविदा खुली बोली प्रारम्भ** होने से पहले जमा करवानें होंगे व खुली बोली समाप्त होनें पर खोले जाऐगे।

कमं संख्या	फलों का नाम तथा किस्म	क्षेत्रफल हैक्टेयर
1	आम–दशहरी,मलिका,आम्रंपाली आदि	2.00
2	अमरूद–लखनऊ 49, इलाहावाद सफेदा,आदि	11.20
3	बेर–उमरान, गोला, सेब आदि	14.00
4	आवंला–बनारसी, चकैया	0.80
5	नीबू–प्रजाति, किन्नो, ग्रेपू–फूट आदि	8.80
6	अनार–जोधपूर रेड, 'गणेश आदि	2.80
7	वेल–सी.आइ.एस.एच.–1 और 2 आदि	4.00
8	फालसा' खजूर (रोड़ साईड)	0.40
	कुल	44.00

अतः जो सज्जन उपरोक्त बाग के फलों को लेने के इच्छुक हों तो वह उपरोक्त तिथि व समय पर पहुॅच कर **भाग लेवे** । बोली देने से पहले बोली दाता को धरोहर धनराषि रुपये 100000/=(**एक लाख**) ड्राफट के माध्यम से फार्म के खजांची के पास जमा करवाने होंगे।

सफल बोली दाता को बोली मंजूर होने पर कुल बोली / स्वीकृत **राशि** का 25 %ः धनराषि उसी समय जमा करवानी होगी तथा तथा इसके साथ **ही** सम्पति के कागजात **व बैंक गारंटी** भी देना अनिवार्य **होगा** । असफल बोली दाता को जमा धरोहर **राशि** चैक के माध्यम से वापस कर दी जाएगी। निलामी से सम्बन्धित नियम **शर्तो** व अन्य प्रकार की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में **उद्यान अनुभाग के कार्यालय से** प्राप्त किया जा सकता **है तथा** टेंन्डर फार्म रुपये **200/= व जी एस टी 18 % मात्र**` जमा करा कर प्राप्त किया जा सकता है।

सहायक प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते उप महाप्रबंधक (फार्म)

csf.hisar@indiaseeds.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–मिनिरत्न कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963G-OI003913
केन्द्रीय राज्य फार्म/Central State Farm
10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार/10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालयः बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–12/BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

संख्या के॰ रा॰ फ़ा॰/11-5 (निलामी)/उद्यान /2018 -19 दिनांक

केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार में वर्ष 2018-19 में फलों की बिक्री हेतु नियम व शर्ते ।

1 ठेकेदार को टैंडर/नीलामी में भाग लेने से पूर्व अपनी पहचान के साक्ष्य के तौर पर कम से कम **एक** पहचान /सबूत जैसे चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस, खेत का खसरा–खतौनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके । यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई सांझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात सांझेदारों से संबंधित हो । यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत कम्पनी **का** है तो उसे कम्पनी का पार्षद सीमा नियम/अर्न्तनियम, पंजीकरण प्रमाण पत्र व **निदेशक** मंडल के सदस्यगण की सूची उक्त वर्णित कागजात में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा ।

2. प्रत्येक बोलीदाता को बोली/टेंडर में सम्मिलित होने के लिए फार्म द्वारा **निश्चित** की गई धरोहर **राशि रू0 100000/– (एक लाख रूपये)** मात्र डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में **जो** राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के नाम देय हिसार हो। इसके बिना टेंडर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सील बंद टेंडर निलामी **प्रारम्भ** होने से पूर्व, धरोहर **राशि** रू0 100000/– (एक लाख रूपये) मात्र **का** डिमाण्ड ड्राफ्ट फार्म के खंजाची के पास जमा करानी होगी। जो कि असफल बोलीदाता को बोली/टेंडर समाप्त होने पर **बिना ब्याज के चेक द्वारा** लौटा दी जायेगी । बोली स्थल पर कोई अस्त्र- शस्त्र ले जाना निषिध हैं । संदेहास्पद **दशा** में **तलाशी** भी ली जा सकती हैं।

3. सफल निविदादाता/बोलीदाता को फार्म द्वारा बाग के फलों की स्वीकृती होने के **पश्चात** 48 घण्टे के अन्दर स्वीकृत **राशि का 8 % प्रतिभूति राशि** के रुप में डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा **जो** राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड **देय हिसार** हो, फार्म के **खजांची** के पास जमा करानी होगी । **तथा इसके साथ स्वीकृत राशि की बैंक गारंटी व संपत्ति की कागजात देना भी अनिवार्य है ऐसा न करने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है तथा जमा कराई गई समस्त धनराशि जब्त कर ली जाये गी** ।

4 यह प्रतिभूति **राशि** व धरोहर **राशि** ठेके के सन्तोषजनक पूरा होने पर फार्म द्वारा ठेकेदार को वापिस कर दी जाएगी। इस **राशि प**र कोई ब्याज फार्म द्वारा नहीं दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में प्रतिभूति **राशि** व धरोहर **राशि** फलों के एवज में ठेकेदार द्वारा फार्म में जमा होने वाली **राशि** में समायोजित नहीं की जाएगी।

5 अगर सफल निविदादाता/बोलीदाता फार्म में प्रतिभूति **राशि** 48 घण्टे में डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा नहीं कराता हैं तो उसके द्वारा ठेके में भाग लेने हेतू जमा करवाई गई धरोहर **राशि** रू0 1,00,000/- (एक लाख रूपय) मात्र फार्म द्वारा जब्त कर ली **जायेगी व** बाग का ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।

6. उप महा प्रबंधक (फार्म) केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये बोली/टेंडर को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर सकते है।

7. खरीददार को बाग के फल तोड़ने के अधिकार की अवधि विभिन्न फलों के अनुसार भिन्न भिन्न होगी जिसको फलों की नीलामी के समय फलों की प्रकृति एवं स्वभाव अनुसार अवगत कराया जाएगा । ज्यों ही फलों के चुनाई का समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का फल वृक्षों व उन पर लगे फलों पर कोई अधिकार नहीं होगा । ठेके की शर्तों के अनुसार **निश्चित राशि का** भुगतान करके फलों की तुड़ाई **शीघ्र** कर ली जाये । फलों की तुड़ाई में **अनावश्यक** देरी की अनुमति फार्म **प्रशाशन** द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी । खरीददार को नीबू प्रजाति के फलों को 31 जनवरी ,2019 अमरूद 31 मार्च 2019 तक, बेर फलों 26 अप्रेल 2019 तथा बेल 15 मई **2019** तक व अन्य फलों को (वर्ष 2018-19) 31 मार्च 2019 तक तोड़ने का अधिकार होगा ।

8. बाग की जुताई, निराई, सिंचाई, दवाओं का छिड़काव व अन्य वांछित कार्य समय समय पर **आवश्यकता**नुसार व उपलब्धतानुसार कराये जायेंगे। ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यो पर आपत्ति करे साथ ही उसे यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यो को निर्धारित समय से पूर्व अथवा अधिक करने के लिए फार्म पर अवांछित दबाव डालने या बाध्य करने की **कोशिश** करें ।

9. यदि कोई व्यक्ति बिना ठेकेदार की जानकारी के फल तोड़ता हुआ पाया गया तो ठेकेदार उसके **विरुद्ध** कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो **तो** इसकी सूचना फार्म के बाग के प्रभारी व सुरक्षा अधिकारी व उप–महा प्रबंधक (फार्म) को देगा ।

10. फलों को तोड़ने व सभी प्रकार सुरक्षा का पूर्ण जिम्मेदार ठेंकेदार **का** होगा । किसी दैविक प्रकोप से हुए नुकसान के लिए बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नही होगा । अगर ठेकेदार चाहे तो उसे अपने खर्च व जोखिम पर फलों का बीमा कराने की अनुमति होगी । नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी **कारणवश** जैसे पेड़ों का उखाड़ना, सूखना, बीमारी/कीड़ों/सुखा/वर्षा/ओला/पाला आदि प्राकृतिक/अप्राकृतिक से कोई हानि ठेकेदार को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा । बोली दाता ही स्वयं उक्त हानि को वहन करेगा।

11. यदि फल ठेकेदार फलों का एकत्रीकरण व चुगाई का कार्य अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करना चाहता है तो वह अनुबन्ध के समय एक अधिकार पत्र व प्रार्थना पत्र उप–महाप्रबंधक (फार्म) को देगा केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार को स्वीकृति के लिए अनुबन्ध पत्र के साथ प्रस्तुत **करेगा** जिसकी सूचना बाग के प्रभारी व सुरक्षा अधिकारी को भी देगा । फल तोड़ने के लिए खरीददार व उसके द्वारा लगाये गये व्यक्तियों के नाम व पते, जो बाग में रहेगें वो भी ,अनुबन्ध के समय फार्म के बाग के प्रभारी व सम्बन्धित अधिकारी तथा उप–महाप्रबंधक (फार्म) को देना होगा। फार्म उप महा-प्रबंधक द्वारा स्वीकृत ठेकेदार के नामित प्रतिनिधि/कार्यकर्ता मात्र ही फलों की तुडाई, सुरक्षा, पैकिंग, ढुलाई आदि ठेके से संबंधित कार्यो हेतू फार्म के उद्यान/सुरक्षा अधिकारी की अनुमति से फार्म/उद्यान परिसर मे प्रवेष कर सकेंगे।

12. यदि कुछ फल फार्म द्वारा परीक्षण आदि के लिए तोड़े गये तो फल ठेकेदार/खरीददार उनका विरोध नहीं करेगा तथा कुछ फल **की** अधिकत मात्रा 10 **क्विंटल** हिसार फार्म के लिए आरक्षित रखे जायेगें जिसकी कोई कीमत नहीं दी जाएगी । फल वृक्षों से कलम आदि लेने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा, यदि इससे फलो को कोई नुकसान होता हैं तो उसका हर्जाना नहीं दिया जाएगा ।

13. यदि फार्म की सम्पति को कोई हानि ठेकेदार या उसके किसी आदमी के किसी कृत्य द्वारा होती है तो उसके लिए फल ठेकेदार/खरीददार जिम्मेदार होगा । किसी भी प्रकार की हानि की कीमत उप महा-प्रबंधक (फार्म) द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान फल ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा । इस पर कोई भी आपत्ति तथा कसी भी प्रकार का **प्रश्न** नहीं उठाया जायेगा । झगड़ा या मतभेद के मामले उप महा-प्रबंधक, **(फार्म)** केन्द्रीय राज्य फार्म,. **हिसार,** का निर्णय अन्तिम होगा

14. नीलामी के उपरान्त फल ठेकेदार/खरीददार फलों की सुरक्षा, चुनाई/तुड़ाई, ढुलाई आदि समस्त फल **वितरण** कार्य अपने जोखिम व खर्चे पर करेगा साथ ही सभी कर व अन्य प्रभार जैसे चुंगी, नगर पालिका सेस आदि यदि हो तो फल ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा ।

15. फल ठेकेदार/ खरीददार द्वारा शर्तो की अवहेलना करने पर उप–महाप्रबंधक (फार्म) केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार को जमा की गई प्रतिभूति **राशि** व धरोहर धन **राशि** व अन्य चुकाई गई **किश्त** व **राशि** को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा । खरीददार बिना उप–महाप्रबंधक **(फार्म)** महोदय की लिखित आज्ञा के कोई भी

किसी प्रकार का सौदा या भागीदारी व अन्य हस्तातंरण किसी अन्य बोलीदाता या किसी व्यक्ति को नहीं करेगा ।

16. इस सौदे के लिए रू0 100/– (एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध ठेकेदार को करना होगा । स्टाम्प पेपर पर हुए खर्च को ठेकेदार वहन करेगा । यह अनुबंध ठेका स्वीकृत होने के 3 दिनों के अन्दर ही करना होगा

17. खरीददार फार्म एरिया में कोई पशु आदि नहीं रखेगा, ना ही घास फूस आदि काटेगा और फार्म की बिजली का प्रयोग भी नहीं करेगा । यदि फार्म द्वारा बिजली का प्रबंध संभव होता है तो फार्म द्वारा निश्चित की गई राशि मासिक अन्तराल पर अग्रिम आधार पर ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म खंजाची के पास जमा करानी होगी ।

18. नीलामी के पष्चात अगर बोलीदाता फार्म द्वारा दी गई निश्चित तिथियों पर निर्धारित धनराषि जमा नहीं करता है तो उसे फार्म प्रशाशन द्वारा फल तोड़ने से रोका जा सकता है जिसके नुकसान की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी साथ ही देरी से धन जमा करने पर 18 % की दर से ब्याज देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अंदर जमा करना होगा । बकाया रकम व ब्याज जमा न करवाने पर बिना सूचना के, फार्म द्वारा ठेके को रद्द कर पुनः ठेका कराया जा सकता है या फार्म अपने स्तर पर बाकी बचे फलों को बिना नीलामी के बेच सकता है । जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा । ठेकेदार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि व धरोहर धन राशि व अन्य जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी । यदि पुनः ठेके की प्रक्रिया में या फार्म द्वारा स्वयं बेचने पर कोई हानि फार्म को होती है तो उसकी उगाही ठेकेदार से की जा सकती हैं

19. शर्तो की अवहेलना करने पर बाग की दोबारा नीलामी उच्चतम बोली दाता की जिम्मेदारी पर कर दी जाएगी । उस हालत में प्रतिभूति राशि व घरोहर राशि और उस समय तक जमा की गई किश्त की राशि जो भी फार्म में ठेकेदार द्वारा जमा किया गया है, को जब्त कर ली जाएगी । यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धन राशि आती है तो वह राशि प्रथम बोलीदाता से वसूली जाएगी ।

20. साधारणतया फलों को बगीचे से बाहर ले जाने के लिए अनुमति कार्य दिवस में प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक होगी । किसी भी भार वाहन द्वारा फल ले जाने से पहले फलों का वजन फार्म के प्रतिनिधि से करवा कर व गेट पास लेना आवश्यक होगा ।

21. यदि कोई भी बोलीदाता किसी कम्पनी या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है तो बोली बोलने वाले को संस्था या कम्पनी द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षर तथा बोली देने का अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

22. ठेकेदार या उसका कोई भी आदमी फार्म के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी से झगड़ा नहीं करेगा सभी शर्तो का पालन करेगा व अपना आचरण अच्छा रखेगा । यदि फार्म, ठेकेदार के आचरण को अनुचित पाता है या उसे शर्तो का पालन करने में असमर्थ पाता है तो उसे 5 वर्ष के लिए काली सूची में डाला जा सकता है।

23 ठेकेदार या उसका कोई भी आदमी अस्त्र शस्त्र लेकर उद्यान या फार्म मे प्रवेश करने व बिना अनुमति जबरन फल तोडने या उपद्रव करने का कोई अधिकारी नही होगा ा

24. **खरीददार की उच्चतम बोली की धनराशि जमा करने की शर्ते :–**

1. ठेकेदार को नीलामी धनराशि का **25 %** बोली मंजूर होने के तुरंत बाद जमा करना होगा । यदि कोई ठेकेदार पूरी राशि तुरंत जमा नहीं कर पाता है तो बकाया राशि 18 % वार्षिक ब्याज के साथ दो दिन के अन्दर जमा करवानी होगी। निर्धारित समस्त धन राशि जमा करने पर ही ठेके का अनुबंध कर, कार्य आदेश जारी किया जायेगा । अगर पूरी राशि दो कार्य दिवस में जमा नहीं की जाती है तो उस अवस्था में धरोहर राशि व जमा की गई राशि फार्म द्वारा जब्त की जा सकती है।

2. **नीलामी धनराषि जमा करने की निश्चित तिथियॉ : य**दि विभिन्न फसलों की नीलामी एक साथ की जाती है तो 75 **प्रतिशत** बकाया धन किस्तों में देना होगा जो कि निम्न प्रकार निष्चित होगा ।

क– **20 प्रतिशत धनराषि 18 जून 2018** तक जमा करवानी होगी । यदि ठेकेदार 20 जून 2018 से पहले आम फल तोड़ता है तो 20 प्रतिशत धनराशि पहले जमा करवानी होगीं उसके बाद ही फल तोड़ने दिया जायेगा

ख– **<u>25 प्रतिशत धनराषि 25 अगस्त 2018</u>** तक जमा करवानी होगी । यदि ठेकेदार 25 अगस्त 2018 से पहले अनार और बरसाती अमरूद फल तोड़ता है तो 25 प्रतिशत धनराषि पहले जमा करवानी होगीं उसके बाद ही फल तोड़ने दिया जायेगा ।

ग– **<u>25 प्रतिशत धनराषि 25 अक्टूबर 2018</u>** तक जमा करवानी होगी । यदि ठेकेदार 25 अक्टूबर 2018 से पहले मौसमी माल्टा फल तोड़ता है तो 25 प्रतिशत धनराषि पहले जमा करवानी होगीं उसके बाद ही फल तोड़ने दिया जायेगा ।

घ– **<u>5 प्रतिशत धनराषि 20 नवम्बर 2018</u>** तक जमा करवानी होगी । यदि ठेकेदार 20 नवम्बर2018 से पहले जाड़े के अमरूद के फल तोड़ता है तो 5 प्रतिशत धनराषि पहले जमा करवानी होगीं उसके बाद ही फल तोड़ने दिया जायेगा ।

25. किस्तों का निर्धारण फार्म द्वारा फलों की किस्म, फलों के पकने का समय, फलों की मात्रा व कीमत के अनुपात के अनुसार किया जाये । अन्तिम किस्त 20 नवम्बर 2018 या अन्तिम फल फसल के पकने से एक माह पहले, तक ठेकेदार द्वारा फार्म पर जमा करवानी होगी।

26. अगर खरीददार समय पर निर्धारित धनराशि जमा नहीं करता है तो उसे फार्म द्वारा फल तोड़ने से रोक कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी साथ ही देरी से धनराशि जमा करने पर 18 % ब्याज प्रतिवर्ष की दर से देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अंदर जमा करना होगा। तत्पश्चात भी अगर बकाया किश्त जमा नहीं की जाती तो ठेके को रद्द कर पुनः ठेका कराया जा सकता है जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा । बाग की दोबारा नीलामी ठेकेदार की जिम्मेदारी पर कर दी जाएगी।

27 ठेकेदार को अपनी किश्तें समय पर या पूरी धनराशि जो अनुबन्ध में होगी एक मुश्त ही जमा करवानी होगी। किश्तें टुकड़ों में स्वीकार नहीं की जाएगीं। अगर कोई किश्त समय पर जमा नहीं होती है तथा दूसरी किश्त का समय आ जाता है तो पिछली किश्त जमा न होने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।यदि ठेकेदार फार्म द्वारा निर्धारित तिथियों पर भुगतान नहीं करता है तो फार्म को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि व उस समय तक जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी व ठेका बिना किसी सूचना के समाप्त कर दोबारा कर दिया जाएगा। यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धनराशि आती है तो वह धनराशि प्रथम ठेकेदार से वसूल की जाएगी।

28 यदि आयकर अधिनियम व राज्य सरकार के किसी अधिनियम व राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर/उपकर लागू होता है तो सम्बन्धित ठेकेदार चुकाएगा।

29. खरीददार द्वारा जमा धरोहर राषि रू0 100000/– (;एक लाख रूपये) फार्म में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने पर कि ठेकेदार द्वारा कोई हानि फार्म को नहीं हुई है तो ठेका समाप्ति के बाद ठेकेदार को बिना ब्याज वापस कर दी जाएगी ।

30 ठेकेदार द्वारा लगाए गये व्यक्ति फार्म एरिया में जंगली या प्रतिबन्धित जानवरों का शिकार नहीं करेगा और न ही उन्हें परेशान करेगा यदि ऐसा पाया गया तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा ।

31. बोली छुटने के बाद वृक्षों अथवा फलों में यदि किसी बीमारी या कीड़ों का प्रकोप होता है तो इनकी रोकथाम हेतु भरपूर पौध संरक्षण प्रयाश फार्म द्वारा किए जायेगें । यदि पौध संरक्षण अधिकारी व उद्यान प्रभारी द्वारा किए गए उपायों व प्रयाशों के उपरांत भी बीमारी, महामारी, कीटों की पूर्ण रूप से रोकथाम नहीं हो पाती है और यदि इसकी वजह से फलों की कोई हानि होती है तो इस एवज में ठेकेदार को कोई भी आर्थिक छूट या राहत नहीं दी जाएगी

32. ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफे आदि देने की कोशिश नहीं करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुॅचाने की कोशिश नहीं करेगा । इन मामलों में उसका ठेका रद्द किया जा सकता है साथ ही उसकी धरोहर राशि जब्त कर उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

33. ठेकेदार बाग में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे फल वृक्षों या बाग को कोई नुकसान पहुॅचे । वह अपनी इच्छा से या स्वयं किसी दवा का छिड़काव, खुदाई, कटाई, आग जलाना कोई निमार्ण आदि कार्य नही करेगा । अगर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी भी प्रकार की क्षति फार्म सम्पत्ति को पहुॅचती है तो फार्म द्वारा क्षति की ऑकलित राषि, ठेकेदार को फार्म में जमा करानी होगी ।

34. यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता **आवश्यक** होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने खर्चे पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा । उल्लघंन की **दशा** में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा ।

35. यदि उपरोक्त अनुबंध/करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस **दशा** में प्रकरण निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध **निदेशक** को संदर्भित किया जाएगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक ;सोल आर्बिट्रेटर के द्वारा विवाद का निपटान **आर्बिट्रेश**न एंड कानसिलिए**श**न एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत **करायें** । पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त **दशा** में **न्यायालय** जाने से पहले **आर्बिट्रेश**न द्वारा अपने विवादों का समाधान करें ।

36 **देशी पौध पर लगे फल जैसे आंमला, जट्टी- खट्टी आदि फल फार्म के होंगे ।**

37 **फार्म के लिये बिभिन्न प्रकार के 10.00 कुंटल फल आरक्षित रखे जाये गे जिसकी कोई कीमत नहीं दी जायेगी**

38. यदि उपरोक्त अनुबंध/करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस **दशा** में प्रकरण निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेषक को संदर्भित किया जाएगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक ;सोल आर्बिट्रेटर के द्वारा विवाद का निपटान आर्बिट्रे**श**न एंड कानसिलिए**श**न एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत **करायें** । पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त **दशा** में **न्यायालय** जाने से पहले आर्बिट्रे**श**न द्वारा अपने विवादों का समाधान करें ।

39. **आर्बिट्रेशन** एंड कानसिलिए**श**न के उपरांत भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से सम्बन्धित **हिसार** होगा ।

सहायक प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते उप महाप्रबंधक (फार्म)